मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियां

क्र.	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव(यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी, (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत गोपाल ग्वाल, ग्वाला	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति पशुपालन	''यादव'' अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है. अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती है. यादव राजपूत इसमें शामिल नही है। यह जाति मध्यप्रदेश के इंदौर एवं खंडवा जिलों में निवासरत है। संपूर्ण म.प्र.के लिए मान्य।
2	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	–
3	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है. ब्राहम्ण जाति के बैरागी शामिल नही किये गये है।
4	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धुरिया, लभाना, लबाना लामने	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राहम्ण शामिल नही है।
5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, चौरसिया	पान उत्पादक व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते है।
6	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है।
7	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	–
8	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरूदावली गाना एवं बैल भैंसो का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है।
9	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबंद्ध करने वाली जाति शामिल नही है.
10	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरूदावाली का गायन करना	–
11	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव	कपड़ों में छपाई व रंगाई	–

12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/ तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर, ब्रितिया(वृत्तिया) सिंगराहा, जालारी, जालारनलु	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं, इसी रूप में सम्मिलित किया गया है. जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है।
13	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार,	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नहीं है।
14	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	–
15	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राहम्ण है. सूची में शामिल किया गया है
16	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिये खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	–
17	चुनकर, चुनगर, कुलवंधया, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	–
18	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	–
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	–
20	धोबी (भोपाल,रायसेन,सीहोर जिलों को छोड़कर), बट्ठी, बरेठा, रजक	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में अनुसूचित जाति में शामिल है.
21	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज व लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राहम्ण नहीं है. मीणा /मीना सिरोंज तहसील में अनुसूचित जनजाति में घोषित है
22	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
23	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी, (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले)	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियॉ अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं. पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रुप में शामिल किये गये हैं. बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं है.
24	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार	कपास की रुई धुनकने का कार्य करना. कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते है।	–
25	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन) कोस्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा,	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते है.

	कोस्काटी, कोश्काटी(लिंगायत) गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी		
26	धोली / डफाली / डफली / ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरो में पूजा व उपजातियॉ ढोल बजाने का कार्य करती हैं.	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है.
27	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरो में महंती	ब्राम्हण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है.
28	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं.
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राम्हण वर्ग सम्मिलित नहीं है.
30	गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते है. जोगी व इस समूह की अन्य जातियॉ धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं	''जोगी'' धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण हैं, वे शामिल नहीं हैं
31	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं
32	सोनार,सुनार, झाणी, झाड़ी (स्वर्णकार) अवधिया, औधिया, सोनी (स्वर्णकार)	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना–चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं.
33	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर कोहरी (ब) माली (सैनी), मरार, फूलमाली (फूलमारी)	शाक–सब्जी उत्पादन व साग–सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी कृषि कार्य एवं मजदूरी – बागानों में फूलों की खेती, हार, माला बनाना	''कुशवाहा'' काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं. काछी जाति के शाक्य व मौर्य भी उपजातियां है। यह जाति मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है. कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं है. यह जाति मुख्यतः म.प्र.के बालाघाट, धार, खण्डवा, उज्जैन जिलों में पायी जाती है। किन्तु संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए मान्य होगी।
34	जोशी (भड़री) डकोचा, डकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं, जोशी ब्राहम्ण इसमें शमिल नहीं हैं।
35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चूड़ियां बेचना	–

36	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना.	–
37	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक,	–
38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ,सतना, रीवा, सीधी शहड़ोल,उमरिया, अनुपपूर, सिंगरौली जिलो को छोड़कर)	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल, उमरिया, अनुपपूर, सिंगरौली जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं.
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी, कुड़मी	कृषक, कृषि मजदूरी	–
40	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	–
41	कौरव, कांवरे	कृषक	–
42	कलार (जायसवाल) कलाल, डडसेना	मदिरा (शराब) बेचना	–
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	–
44	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओड़े, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	–
45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास) म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रुप में सम्मिलित की गई हैं.
46	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	–
47	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ, सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल उमरिया, अनुपपूर, सिंगरौली जिलों को छोड़कर)	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना, बुनकर	''पनिका'' छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ, रीवा, सतना, सीधी व शहड़ोल उमरिया, अनुपपूर, सिंगरौली जिले में अनु.जनजाति में शामिल हैं.
48	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	–
50	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना	–
51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को ''साहू'' व ''राठौर'' कहते है।. राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
52	तुरहा, तिरवाली, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	–

53	किसडी, कसडी	नाच–गाकर मनोरंजन करने वाले	–
54	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति ''कोरकू'' की उपजाति है. बैतूल जिले की भंवरगढ क्षेत्र में निवास करती है.
55	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है. पूर्व में सैनिकवृत्ति करती थीं	सरगूजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है.
56	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना	मानकर की उपजाति ''निहाल'' अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
57	कोटवाल (भिण्ड,धार,देवास,गुना, ग्वालियर,इन्दौर,झाबुआ खरगौन, मंदसौर ,मुरैना, राजगढ, रतलाम शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन विदिशा अशोकनगर, आगरमालवा, अलीराजपुर जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	''कोटवाल'' जाति को भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम,शाजापुर शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा अशोकनगर, आगरमालवा, अलीराजपुर जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है.
59	लोढ़ा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन–यापन करना	–
60	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जनजाति
61	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूर	–
62	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.
63	तिऊर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना	–
64	भारूड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढ़ोना	मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे.
65	सुत सारथी–सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	–
66	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलगु भाषी है. विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है.
67	राघवी	कृषि कार्य करना	–
68	रजभर/राजभर	कृषि, मजदूरी	–
69	खारोल	कृषि मजदूर	–
71	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना	–
72	रज्जड़, रजझड़	कृषि मजदूरी	–
73	जादम	कृषि मजदूरी	–

74	दांगी / डांगी	कृषक	राजपूत इस सूची में सम्मिलित नही।
75	गयार / परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते है.
76	कुड़मी का लोप कर क्रमांक 39 पर स्थानांतरित	—	—
77	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद हैं
78	बया महरा / कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिले में निवास करते है.
79	पिंजारा (हिन्दू)	—	—
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है.	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है
82	आंजना	—	—
83	धोरिया	—	—
84	गेहलोत मेवाड़ा	—	—
85	रेवारी	—	—
86	रूवाला / रूहेला	कृषि	—
	मुस्लिम धर्मावलम्बी समूह की जातियां		
87	(1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(2) भिश्ती, ''अब्बासी'' ''सक्का''	पानी भरने का काम पानी भरने का काम एवं मजदूरी	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	—
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय
	(7) मेवाती	कृषि पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य
	(8) पिंजारा, नद्दाफ, बेहना, धुनिया,धुनकर,फकीर,शाह,साई कब्रखोदू	रूई धुनाई का कार्य भिक्षावृत्ति कब्र खोदना	हिन्दुओं की कड़ेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा राईन	साग–सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग–सब्जी का कार्य
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसात खाने का सामान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस / गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरुदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी / रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय

	(14) बढ़ई (कारपेन्टर) खरादी कमलीगर	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम लकड़ी पर खरादी का कार्य तथा लाख का कार्य करना	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा यह जाति सूची के क्रमांक 87(14) पर अंकित बढ़ई (कारपेन्टर) के आगे जोड़ी जाने से कैफियत पूर्ववत रहेगी।
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढ़ोना व पल्लेदारी करना	—
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
	(19) तड़वी	कृषि कार्य	—
	(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैल गाड़ी से सामान ढ़ोना तथा पशुओ को बेचने का व्यवसाय	हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
	(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले
	(22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले
	(23) पेमदी	पेड़ पौधो की कलम लगाने का धंधा	—
	(24) कलईगर	बर्तनों व अन्य सामान में कलई करना	—
	(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ो के पैरों में नाल बांधने का काम	—
	(26) शीशगर	—	—
	(27) गोली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करना	क्रमांक 1 पर हिन्दू गोली के समकक्ष जाति
	(28) राजगीर	ईंट की जुड़ाई चूनागारा भवन निर्माण का कार्य	क्रमांक 17 पर हिन्दू राजगीर के समकक्ष जाति
	(29) डफाली	मांगना	क्रमांक 26 पर हिन्दू डफाली के समकक्ष जाति
	(30) घोषी व गवली, गोली	दूध बेचना व पशु चराना	क्रमांक 31 पर हिन्दू घोषी के समकक्ष जाति।
	(31) सिकलीगर	औजारों पर धार लगाना	क्रमांक 50 पर हिन्दू सिकलीगर के समकक्ष जाति
	(32) संतरास	पत्थर की जुड़ाई एवं कटाई	सूची क्रमांक 52 पर हिन्दुओं के समकक्ष मुस्लिम संतरास पत्थर तराशने का कार्य करते है
	(33) नट	कलाबाजी दिखाना	अनुसूचित जाति में सम्मिलित नट जाति के समकक्ष जाति

	(34) शेख मेहतर	सफाई कामगार के रूप में कार्य करना	अनुसूचित जाति में सम्मिलित हिन्दू मेहतर के समकक्ष जाति
	(35) नियारगर	सुनार व सड़क की धूल कचरे व नदी नाले की मिट्टी एकत्रित कर उसे धोकर उसमें से धातु को एकत्रित कर सुनारों के पास बेचना	मुख्यतः मंदसौर, रतलाम, इंदौर, देवास, उज्जैन जिलों में निवासरत। संपूर्ण म.प्र.के लिए मान्य।
	(36) गद्दी	पशुपालन, कृषि तथा मजदूरी	यह जाति मुख्यतः म.प्र.में विदिशा, गुना, राजगढ़, इंदौर, रतलाम, भोपाल, सतना तथा श्योपुर जिलों मे निवासरत है। संपूर्ण म.प्र. के लिए मान्य।
	(37) मुकेरी, मकरानी	पशुपालन एवं पशु व्यवसाय	
	(38) भांड/नक्काल	राजदरबार व महफिलों में नौटंकी, नाच, गाने, कब्बाली, बैण्ड बजाना व विभिन्न मजदूरी	यह जाति मुख्यतः म.प्र. के ग्वालियर, भिण्ड, रीवा, दमोह एवं मुरैना जिलों में पाई जाती है, किन्तु संपूर्ण म.प्र. के लिए मान्य होगी।
88	बैसवार	कृषि एवं कृषि मजदूरी करना	
89	वाणी	आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय एवं ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में सड़क किनारे दुकानें लगाने का छोटा–मोटा व्यवसाय करने वाले	–
90	विश्नोई	कृषि एवं कृषि मजदूरी	यह जाति मुख्यतः म.प्र.के हरदा, होशंगाबाद, देवास, खण्डवा, नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। संपूर्ण म.प्र.के लिए मान्य।
	जाट	कृषि एवं कृषि मजदूरी	यह जाति मुख्यतः हरदा, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, देवास, रायसेन, इंदौर, रतलाम, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, खण्डवा जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। संपूर्ण म.प्र.के लिए मान्य।
91	राठौर जाति	कृषि एवं कृषि मजदूरी	1. यह जाति मध्यप्रदेश में मुख्यतः डिण्डौरी, उमरिया व शहडोल जिलों में निवासरत है।

			2. क्षत्रिय राजपूत राठौर इसमें शामिल नही होगें।
92	बहावलपुरी	कृषि, मजदूरी	विद्यमान पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाए गये मूल परिवार के लोगों को पिछड़ा वर्ग मान्य किया जाता है।
93	सौंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाने का कार्य। 2.कृषि कार्य एवं पशुपालन	(महाकौशल एवं विंध्य क्षेत्र के जिलो में) 2. समस्त प्रदेश। इसमें सौंधिया जाति के वे लोग भी जो अपने को सौंधिया राजपूत कहते हैं, शामिल होंगे।
94	ट्रांसजेण्डर	—	—